[Shri P. Shiv Shankar]

Sir, the hon Member has asked about the price of petrol, having regard to the fact that the crude oil prices have come down in that international market. Sir, I must submit that I cannot equate the petrol with the kerosene which today is being used by the common man.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: You should not increase the price.

SHRI P. SHIV SHANKAR: It is not possible for me to equate, as I said. But, if it is necessary, well, I would not shirk from increasing the petrol price. If it is necessary, I have got to make a definite distinction between petrol and kerosene. Kerosene is used by the ordinary people and they have necessarily to be taken care of But, in the case of petrol I, may have a slightly different view. Whatever it is, I would not like to state anything at this stage and I would not like to dampen the enthusiasm of my hon. friend.

May I submit, Sir, that the present rate of petrol price which we are having is less as compared to the various international countries. I think some time back I do not remember whether in this House or the other House . . .

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: International salaries and wages are not less.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Internationally, so far as our prices are concerned they are less.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Wages are also less.

SHRI P. SHIV SHANKAR: That is of course there. That depends on diverse factors. I quite see that. I am not making a hard and fast rule. I am only trying to say that the price of petrol is still lower as compared to various countries.

Sir, my hon. friend has asked the question with reference to the various countries from which crude oil is imported.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I was asking about the countries to whom we are exporting the crude oil.

SHRI P. SHIV SHANKAR: A part of the crude oil from Bombay High is being exported because we will be getting a lot of content of LSHS and the oil distillers that we should get we are not getting sufficiently. It is for this reason we have been exporting and that is why so far as our refineries are concerned the refineries at Vishakapatnam, Cochin, Madras and at various other places, they are developing the secondary processes system. Once the secondary processes system is developed we will be refining this crude also which we are otherwise exporting. The export is for these two reasons. These are all my submissions, Sir.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका) : श्री नरेन्द्र सिंह ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : यह कितने बजे तक चलेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका) : यह आज 6.30 तक चलेगा और दूसरे दिन फिर इस पर डिसकशन होगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण, वर्किंग पर चर्चा प्रारम्भ करने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं गांव से आता हूं, गांवों की दिक्कतों को, गांव की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानता हूं, उनका भुक्त-भोगी रहा हूं । सौभाग्य से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी गांव के रहने वाले हैं और गांवों की कठिनाइयों को बहुत भली प्रकार समझते हैं ।

मान्यवर, ग्रामीण विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इसका वास्ता हमारे देश की कुल आबादी के 80 प्रतिशत लोगों से है, अर्थात् लगभग 70 करोड़ के देश में 50 करोड़ लोगों के भविष्य से, उनकी जिन्दगी से, उनकी बेहतरी से इसका वास्ता है।

[श्री उपसभापति महोदय पीसीठान हुए।]

और ये 50 करोड़ लोग आज दुनिया की आबादी का 1/6 हिस्सा है। अतः जब हम इस देश के ग्रामीण विकास पर चर्चा करते हैं तो विश्व की जनसंख्या के 1/6 भाग के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं जो बहुत बड़े मायने रखता है और जिसका बहुत बड़ा मतलब है। मान्यवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है और गांवों की तरक्की के बगैर भारत की तरक्की की बात सोची ही नहीं जा सकती। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि गांव हमारे देश की आत्मा हैं लेकिन उस आत्मा की क्या स्थिति है, वह आज किसी से छिपी नहीं है। वहां के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, हमारे राष्ट्र नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं प्रारम्भ हुईं उनमे ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया। आज हमारी नेता प्रधानमंत्री माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांवों के गरीबों की दशा की सुधारना है ऐसे लोगों को जो सदियों से दबे हैं, कमजोर हैं उन्हें ऊंचा उठाना है, उन्हें इन्सानी जिन्दगी देनी है। यही बीस सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य है। आजादी के बाद आज 36 वर्षों में भारत के गांवों का कुछ विकास हुआ है। गांवों में कुछ काम हुआ है। हमारे बहुत से विरोधी मित्र यह कहते हैं कि गांवों मे कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, गांवों में कुछ विकास का कार्य हुआ है, काफी हद तक विकास का कार्य हुआ है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हमरी सरकार गांवों की प्रगति के बारे में गहरी दिलचस्पी रखती है और इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि ग्रामीण विकास के लिए एक अलग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक स्वतंत्र विभाग काएम किया है और एक मंत्री श्री मिश्रा जी को उसका काम सुपुर्द किया गया। मान्यवर, गांवों की प्रगति के लिए सरकार द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनका मैं संक्षेप में कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। गांवों के विकास के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजना लागू की गई है। यह आई० आर० डी०पी० की स्कीम देश के समस्त 5011 ब्लाकों में लागू है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक ब्लाक में एक वर्ष में 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाएगा। ऐसा छठी पंचवर्षीय योजन में रखा गया है और इन पांच वर्षों के दौरान एक ब्लाक नें 3000 लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जाएगा। ऐसा प्रावधान है। ऐसा कार्यक्रम है इस तरीके से पूरे देश में एक करोड़ पच्चीस लाख परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर लाए जाएंगे ऐसा एक वृहद कार्यक्रम हमारे सामने है। इसमें क्या दिक्कतें हैं इसे आई०आर०डी०पी० स्कीम

[श्री नरेन्द्र सिंह]

के कार्यान्वयन के संबध में बाद में चर्चा करूंगा। इस प्रोग्राम के सम्बन्ध में कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। मान्यवर, 1980-81 में 28 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। 1981-82 में 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर लाने का लक्ष्य रहा। 1982-83 में मान्यवर, 30 लाख से अधिक परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कार्यक्रम है।

अब मान्यवर, गांव के विकास के लिए दूसरा कार्यक्रम सरकार की ओर से है, वह है सूखा नियंत्रण का। हमारा देश मान्यवर, बहुत बड़ा देश है। कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा। इस समय हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है। सरकार ने सूखे को रोकने के लिए मुस्तकिल तौर पर जहां-जहां सूखा पड़ता है वहां करीब 554 ब्लाकों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस पर बहुत बड़ी धनराशि आवंटित की है।

मान्यवर, तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया है और जो गांवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है कि गांव में जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसके लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम लागू किया गया है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की विकट समस्या है, गांवों में लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, शहरों में तो उन्हें किसी न किसी तरीके से काम मिल जाता है लेकिन गांवों में आज किसानों की स्थिति ऐसी हो रही है कि वह मजदूर को मजदूरी नहीं दे पाते और न ही उसे इम्प्लायमेंट दे पाते। मान्यवर, थोड़े समय पहले गांवों में एक पुरुष को, जो मेल लेबरर होता था उसको 238 दिन काम मिल जाया करता था। लेकिन अब उसे सिर्फ 218 दिन काम मिल रहा है, यह जो कम दिन काम करने को मिलता है, 365 दिन में 218 दिन काम मिलता है तो मान्यवर, 218 दिन काम करके कैसे वे गुजारा कर सकते हैं यह सोचने का सवाल है। तो हमारी सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में मान्यवर, कार्यक्रम के लिए 1620 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

मान्यवर, मैं पिछले तीन सालों में कितने लोगों को, कितने मैन डेज रोजगार मिला है यह रखना चाहता हूं। मान्यवर, 1980-81 में 390 मिलियन दिनों का रोजगार लोगों को मिला इस ग्रामीण रोजगार योजना के तहत। 1981-82 में 325 मिलियन दिनों का रोजगार मिला और 1982-83 में 3307 हजार दिन रोजगार मिला इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत। इस तरीके से मान्यवर, गांव के लोग जो भूखों मर रहे थे जिनके सामने एक बड़ी समस्या थी उनकी समस्या को सरकार ने दूर करने का एक प्रयास किया इस कार्यक्रम के जरिये।

मान्यवर, सरकार की ओर से एक और कार्यक्रम ग्रामीण युवकों को सेल्फ इम्प्लायमेंट की ट्रेनिंग का शुरू किया गया है। ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ फार सेल्फ इम्प्लायमेंट जिसको ट्राइसम योजना कहते हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष दो लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें सुविधाएं दे करके, क्योंकि नौकरी तो हर एक को नहीं मिल सकती है, सेल्फ इम्प्लायमेंट में लगाया जाता है और स्वावलम्बी बनाया जाता है।

मान्यवर, इस संबंध में चूंकि लोग कहते हैं, हमारे बहुत से मित्र कहेंगे कि यह तो फरजी बात है कि दो लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वह मैं पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, 1980-81 में जो प्रशिक्षण दिया गया 1,20,596 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 45,494 लोग खुद के रोजगार में लग गये और 1981-82 में 1,29,879 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। उसमें से 52,243 युवक रोजगार में लग गये और अपना काम करने लगे। इसके माने यह हैं कि यह सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि दरअसल काम हो रहा है, कुछ काम की ओर प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, एक और कार्यक्रम जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है, उसमें ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर्स इन रूरल डेवेलपमेंट है। अभी तक इस बात की लोगों को जानकारी नहीं थी कि दरअसल गांवों की कौनसी-कौनसी दिक्कतें हैं और किस तरीके से उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में, श्रीमन्, एक ट्रेनिंग और रिसर्च का काम हैदराबाद में शुरू हुआ है एक इंस्टीट्यूट बना, नेशनल इस्टीट्यूट फार रूरल डेवेलपमेंट और कई प्रदेशों में यह रिसर्च सेंटर्स खोले गये और वहां पर प्रशिक्षण का और रिसर्च का काम हो रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें किस तरीके से दूर किया जाए, इस पर रिसर्च हो रही है।

श्रीमन्, हमारे बहुत से मित्र, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह कहते हैं कि हमारे देश ने कोई प्रगति नहीं की है। ऐसा नहीं है। सन् 1947 के पहले जहां हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, हमारा देश आज औद्योगिक विकास में दुनिया के प्रथम दस देशों में से है और टेक्नालोजी में हमारा नम्बर तीसरा है।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने प्रगति न की हो। ग्रामीण क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है भूमि सुधार के संबंध में---भूमि सुधार से लोग सिर्फ मतलब लेते हैं सीलिंग से कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन थी, उसे उनसे ले लिया जाए। ऐसा नहीं है। भूमि सुधार में कई बातें हैं, कनसालिडेशन आफ होल्डिंग्स है। लेकिन इसमे भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। हमारे मंत्री जी जिस प्रदेश से आते हैं, मुझे ऐसी जानकारी दी गई है कि उनके प्रदेश में कनसालिडेशन का काम मुश्किल से 40 या 42 ब्लाक्स में शुरू हुआ जबकि प्रदेश में 587 ब्लाक हैं। तो भूमि सुधार का काम कुछ हुआ है और जमोदारी का अबालिशन हुआ है। लेकिन हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं, उनमें बिहार और कर्नाटक हैं, इनमें तो जमींदारी अभी भी प्रैक्टिकल बनी हुई है और जमींदारी को प्रभावी ढंग से खत्म नहीं किया गया है।

मैं सरकार से यह मांगा करूंगा कि भूमि सुधार को बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाए। कनसालिडेशन आफ होल्डिंग्स, सीलिंग और जो सरप्लस लैंड है उसका डिस्ट्रिब्यूशन, करेक्शन आफ रिकार्डस, यह सारे काम होने चाहिएं।

भूमि सुधार मान्यवर, बीस-सूत्री कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सीलिंग में 15.74 लाख हैक्टेयर जमीन सरप्लस डेक्लेयर की गई है, जिसमें से 9.56 लाख हेक्टेयर पर सरकार का कब्जा हो गया है।

[श्री नरेन्द्र सिंह]

उस में से 6.79 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण किया गया और यह वितरण किया गया 11.54 लाख भूमिहीनों में, जिस में 6.13 लाख शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं । मान्यवर, बहुत बड़ी तादाद में गांवों में जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, एक-एक झोंपड़ी में एक-एक दर्जन लोग रहते थे उन को मकान के लिए जमीनें दी गयीं, साइट्स फार हाउसेज अलाट की गयीं और लाखों लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गयी ग्रामीण क्षेत्र में ।

गांवों में विद्युतीकरण कितनी तेजी से हुआ इस का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं । यह ठीक है कि पूरे तरीके से बिजली नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए, नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 6 घंटे बिजली मिलती है । लेकिन बहुत गांवों में बिजली पंहुची है । इस का उल्लेख मैं करना चाहता हूं । 1951 में देश में सिर्फ 3061 गांवों में बिजली थी । आज 3 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुच चुकी है । मान्यवर, यह जो छोटे किसान पम्पिंग सेट लगाते हैं 1951 में सिर्फ 21 हजार पम्पिग सेट बिजली से चलते थे और अब पूरे हिन्दुस्तान में 40 लाख से अधिक पम्पिंग सेट बिजली से चलते हैं । इस समय जो ट्यूब वैल्स की स्थिति है वह भी मैं आप को बताना चाहता हूं और आप के माध्यम से सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं । इस समय लगभग 36 हजार ट्यूब वैल हैं हमारे देश में, लेकिन इस छठी पंचवर्षीय योजना में 15 हजार ट्यूब वैल और बनाये जाने का कार्यक्रम है । मान्यवर, हमारे देश के गांवों में एक बड़ी समस्या है पीने के पानी की । जो करीब सवा 6 लाख गांव हैं उन में से आज भी लगभग 80 हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है । सरकार ने उसे प्रायोरिटी दे कर रखा है और 1983-84 के बजट में ही उस के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिस से 48 हजार गांवों में पीने के पानी की इन्तजाम होगा । मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 48 हजार गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध हमारा लक्ष्य तो है, लेकिन यह लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, या जो ताकतवर लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जिन के यहां पीने के पानी की व्यवस्था है वही इस व्यवस्था को अपने हो यहां ले जायेंगे और जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है बहुत मुमकिन है कि वहां तक यह व्यवस्था न पहुंच पाये । मैं चाहूंगा कि इसे बहुत काशयसली देखा जाना चाहिए और जिन गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है वहां पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिए । मान्यवर, यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के आखीर तक और किसी भी हालत में 1990 तक हिन्दुस्तान में कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पीने के पानी का इन्तजाम न हो ।

मान्यवर, जो गांवों में और बहुत सी जरूरियात हैं उन के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है । गांवों में जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं उन की पूर्ति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1364.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । गांव में एक बड़ी कठिनाई है सड़कों की । गांवों में सड़कें नहीं हैं । सभी लोग जो गांवों से आते हैं उन्होंने इस कष्ट को भोगा है । चाहे गांव में बड़ा आदमी है या छोटा आदमी हो, हर एक को बरसात में किस तरीके की कठिनाई होती है यह सब लोग जानते हैं । लेकिन इस छठी पंचवर्षीय योजना में एक कार्यक्रम है जिस में 1500 की आबादी के ऊपर के

जो गांव हैं उन सभी को सड़कों से जोड़ा जायेगा । ऐसा लक्ष्य है, ऐसा इरादा है सरकार का और वह सड़कें ऐसी होंगी जो सभी मौसम में उपयोग की जा सकेंगी । वह पक्की सड़कें होंगी और 1000 से 1500 तक की आबादी के जो गांव हैं उन के 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है । लेकिन फिर भी बहुत से गांव रह जायेंगे । बड़ी तादाद में गांव रह जायेंगे जहां सड़कें नहीं पहुंच सकेंगी । इस लिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए और यह सर्फ टार्गेट बन कर ही न रह जाय । इस काम को पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि गांवों में सड़कों का इंतजाम नहीं हुआ तो गांवों की तरक्की नहीं हो सकती, उन का विकास नहीं हो सकता ।

इधर गांवों की स्थिति यह हो रही है कि लोग गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं । इस की एक खास वजह यह है कि वहां असुरक्षा है और जो अच्छा और बेहतर जीवन बिताने के साधन हैं, जो जरिये हैं उन का वहां न होना भी एक कारण है । इस से लोग गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं । शहरों की आबादी पिछले दो दशकों में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी है और शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है । इस के लिये यह जरूरी है कि गांवों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । वहां लोग अच्छी जिन्दगी बिता सकें, अच्छी तरह से रह सकें, उन को वहां रोजगार के अवसर मिलें इस तरह की व्यवस्था वहां होनी चाहिए । इतना ही नहीं, गांव के लोगों की शायद नौकरियों में भी उपेक्षा हो रही है । मैं किसी बिरादरी की बात नहीं करता, पूरे गांव की बात करता हूं । जहां उन को क्लास 3 और 4 में इंप्लायमेंट मिल सकता है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गांव के 80 प्रतिशत लोगों में से वहां सिर्फ 20 प्रतिशत नौकरियों में ही उन का हिस्सा है । गांव के 80 प्रतिशत रहने वालों को 20 प्रतिशत स्थान मिलते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 प्रतिशत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वह किस तरह से गांवों का विकास कर सकते हैं । तो नौकरियों में गांव के लोगों को बढ़ाया जाय । जो गांवों के विकास से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं उन में गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जाय, इस बात को मैं कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, बहुत से कार्यक्रम हैं जो सरकार ने लागू किये हैं । लेकिन दो तीन कार्यक्रम जो बहुत जरूरी हैं गांवों के विकास के लिये उन की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा । सब से पहला काम है गांवों में जो लैंड-लैस लेबरर्स हैं उन को न्यूनतम वेतन मिल सके इस बात की गारंटी होनी चाहिए । नम्बर दो, मान्यवर, हालांकि यह बात रूरल डवलपमेंट विभाग के अंतर्गत नहीं है, वह है कृषि को उद्योग घोषित करना । मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास को आप खेती से अलग नहीं कर सकते । गांव का विकास बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप कृषि को उद्योग घोषित कर दें । उद्योग घोषित कर देंगे तो किसानों को गांव, के लोगों को जो खेती में पैदावर करते हैं रिम्यूनरेटिव प्राइस अपने आप मिलने लगेगी । जब रिम्यू-नरेटिव प्राइस मिलने लगेगी तो वह मजदूरों को अच्छी मजदूरी देने की स्थिति में होंगे और इंप्लायमेन्ट भी बढ़ेगा ।

[श्री नरेन्द्र सिंह]

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह आई०आर०डी०पी० और एन० आर०ई०पी० के बारे में है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि सारे नहीं तो किसी एक ब्लाक के दो तीन गांवों में ही आप इंटलिजेन्स के लोगों को भेजकर रिपोर्ट मगवा ले या खुद ही जाकर देख लें तो पता चल जाएगा कि इन प्रोग्रामों में कितना भ्रष्टाचार है। किसी उच्च अधिकारी को भेजकर भी आप रिपोर्ट मंगालें कि जो गांव में भैंस बकरी, घोड़ा, खड़खड़ा आदि जो भी इस योजना में खरीदते हैं उनके पास वह है या नहीं और अगर है तो वह दो हजार, 5 हजार में खरीदा गया है। उन्हें 5 हजार रुपया मिला है या ढाई हजार रुपया मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक-एक भैंस के लिए पांच-पांच लोगों को रुपया मिला है। श्रीमन्, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मान्यवर, में आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी गरीब लोगों के साथ बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनको किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह बड़े से बड़े अधिकारी हों या छोटे से छोटे कर्मचारी हों।

मान्यवर, एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत जो गेहू दिया गया है ऐसी शिकायतें हैं कि जानवर भी उसको नहीं खा सकता है। कई जगहों से रिपोर्ट आई है कि वह अनफिट फार ह्यूमन कंजम्पशन है। मैं कहना चाहता हू कि जिन लोगों ने इस तरह का गेहूं भेजा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, यह मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हू।

श्री उपसभापति : राज्य सरकार वह कार्यवाही करेगी, इनको आप कहियें कि उनको निर्देश दें।

श्री नरेन्द्र सिंह : राज्य सरकार को आप निर्देश दे सकते हैं। लेकिन जब पैसा आप देते हैं तो उनके ऊपर सुपर-विजन भी आपका होना चाहिए।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): The Treasury Benches are empty. This is how they treat rural development.

श्री उपसभापति : इधर भी तो देखिये खाली है, पार्टी की पार्टी गायब है।

श्री नरेन्द्र सिंह : मान्यवर, गांव के लोगों को और किसानों को खासकर बड़ी कठिनाई हो रही है वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून से। श्रीमन् यह 1894 का अधिनियम है। उस समय जमीन की कोई कीमत नहीं थी आज बहुत सस्ती कीमत पर किसानों से जमीन लेकर अधिक उपजाऊ जमीन लेकर आवास परिषद् या डेवलपमेंट अथारिटी वाले उन पर मकान बना रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। इलाहाबाद में बहुत अच्छा अमरूद होता है। सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। वहां आवास विकास परिषद् को कोई जमीन नहीं मिल रही है इसलिए वह अमरूद का खेतों को उजाड़ना चाहते हैं और इलाहाबाद के अमरूद को ही खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बड़ी अच्छी उपजाऊ वह जमीन है। दूसरे, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ में आलू की खेती होती है। कानपुर और फतेहगढ़ में आलू बहुत होता है। फतेहगढ़ में वह जमीन आवास विकास परिषद् के लोग अधिग्रहण करने की सोच रहे हैं। जो जमीन बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें अण्डर ग्राउंड चैनल से इरीगेशन होता है और जो बहुत कीमती जमीन है उसको आवास विकास निगम लेना चाहता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण कानून में बहुत जल्दी संशोधन किया जाए। संशोधन क्य

इसको तो नये सिरे से देखने की जरुरत है । मैं उसके प्रावधानों में अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बहुत लम्बी चर्चा हो जायेगी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिये । उनको मार्किट प्राइस मिले । पहली बात तो उनकी जमीन एक्वायर ही नहीं होनी चाहिये लेकिन पब्लिक नीड के लिये बहुत जरुरी है तो जिस समय पोजैशन लिया जाए उस समय जो उस जमीन की मार्किट वैल्यू हो उस मार्किट वैल्यू से जमीन ली जानी चाहिये, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिये । उन्हें नौकरी दी जानी चाहिये, उन्हें बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, गांवों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है । मुश्किल से एक परसेंट लोग होंगे जिनके घरों में इसकी व्यवस्था होगी । ये भी जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्हीं के घरों में मिलेगी । हमारी माताओं को बहनों को खुले मैदानों में सड़क के किनारे पाखाना के लिये जाना पड़ता है । बरसात के दिनों में पानी बरस रहा होता है तो टाट ओढ़ कर तमाम महिलाओं को पानी में टट्टी फिरने जाना पड़ता है । उनके लिये और कोई व्यवस्था नहीं होती । हमारे जो शहर के बहुत से भाई हैं उनको अगर दो दिन के लिये गांव में छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं गांव में वे नहीं रह सकेंगे । वहां से भाग खड़ा होना पड़ेगा । मैं गांव का रहने वाला हूं । गांव अभी भी जाता हूं और दो-दो तीन-तीन दिन रहता हूं । गांव में महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री उपसभापति : शहरों में भी होनी चाहिये क्योंकि यहां भी बहुत जगह पर नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह : शहरों में बड़ी परसेंटेज के लिये तो है छोटी परसेंटेज के लिए नहीं है । शहरों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । हमारे उपसभापति महोदय ने इस तरफ ध्यान दिलाया है, मुझे शहर में ऐसी व्यवस्था के लिये कोई एतराज नहीं हूं । अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो लेकिन गांव के लोग इंसानी जिन्दगी बिता सकें यह प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है । ऐसा में चाहता हूं ।

गांव में अस्पतालों की भी व्यवस्था नहीं है । कोई बीमार हो जाता है तो उसे 10–10, 12–12, 15–15 मील दूर जाना पड़ता है । जैसा मैं कह रहा था कि सड़क के न होने के कारण बरसात के दिनों में दवा के अभाव में कई लोग वहीं पर मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई डिसपेंसरी, अस्पताल का इंतजाम होना चाहिये ।

मैंने आपका काफी समय लिया और कुछ तथ्य जो गांव से सम्बन्धित हैं उन्हें आपके सामने, सदन के सामने और मंत्री महोदय के सामने रखे । मैं आशा करता हूं मंत्री जी उन पर गौर करेंगे और प्रभावी कदम उठाने की कोशिश करेंगे और मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के इस कार्य में वे सरकार को सहयोग दें, सरकार को सहायता दें और किसी प्रकार का रोड़ा न अटकाने दें और न अटकायें । सभी को मिलकर गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This debate will be continuing tommorrow

also at about 3.45 p.m. Now, Messages . . .

MESSAGE FROM THE LOK SABHA—Contd.

The African Development Bank Bill, 1983.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the African Development Bank Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 3rd May, 1983.

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

श्री उपसभापति : अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at six minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 4th May, 1983.